न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – /2023 . (Bank Case)

आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय आई.सी. आई.सीआई. बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई, महाराष्ट्र–400051 में स्थित व कार्यरत है, एवं जिसका एक कार्यालय प्लॉट नं. 1, प्रथम तल, सहयोग भवन ,एरोड्रम (Aerodrome) सर्किल कोटा, राजस्थान 324007 पर स्थित है जिसके प्राधिकृत अधिकारी श्री नेम सिंह है।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Mr. Karan Bansiwal
Address 1 : Nayi Nakoda Basti, Baran, Rajasthan-325205
Address 2 : Baabji Nagar Road, Baran, Rajasthan 325205
Address 3 : Vishnu Vihar Mal, Kalyanpura, Baran, Rajasthan 325205
(Applicant)

2. Smt. Parwati Bai
Address 1 : Vishnu Vihar Mal, Kalyanpura, Baran, Rajasthan 325205
Address 2 : Nayi Nakoda Basti, Baran, Rajasthan 325205
(Co-Applicant and Mortgagor)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 29.03.2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय आई.सी.आई.सीआई. बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई, महाराष्ट्र–400051 में स्थित व कार्यरत है, एवं जिसका एक कार्यालय प्लॉट नं. 1, प्रथम तल, सहयोग भवन,एरोड्रम (Aerodrome) सर्किल कोटा, राजस्थान 324007 में स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री नेम सिंह हैं। अप्रार्थीगण ऋणी को प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 21 [illegible] [illegible]5,611/– रूपये (सात लाख पिचहत्तर हजार छः सौ ग्यारह रुपये) का ऋण स्वीकृत कर वितरित किया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्रीमती पार्वती बाई पत्नी श्री जगदीश बंशीलाल की एक आवासीय सम्पति जो कि भूखण्ड संख्या 10 का दक्षिणी भाग, विष्णु विहार आवासीय कॉलोनी (जो कि भू राजस्व खसरा संख्या 386/343, 387/343,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:00 IST
Reason: SelfAttested

388/343) वाके कल्याणपुरा, तहसील एवं जिला बारां, राजस्थान–325205 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल **15X40=600** वर्गफीट अर्थात् 66.66 वर्ग गज है, एवं जिसकी चतुर्थ सीमाएं– **उत्तर में प्लॉट नं. 10 का भाग, दक्षिण में प्लॉट नं. 11, पूर्व में रोड 30 फीट चौड़ी , पश्चिम में प्लॉट नं. 16 है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.05.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 18,07,750/– (अठारह लाख सात हजार सात सौ पचास रूपये) बकाया राशि दिनांक 27.07.2022 तक शेष देय है व दिनांक 28.07.2022 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 02.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''प्रातःकाल'' में दिनांक 09.08.2022 व अंग्रेजी में ''द ईकोनोमिक टाइम्स'' में दिनांक 09.08.2022 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला मजिस्ट्रेट बारां

हमने बहस पर मनन किया, एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Rec[illegible]ts and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] जगदीश बंशीलाल की एक ऋणी/बंधककर्ता की अच[illegible] भाग, विष्णु विहार आवासीय कॉलोनी आवासीय सम्पति जो कि [illegible] (जो कि भू राजस्व खसरा संख्या 386/[illegible] 387/343, 388/343) वाके कल्याणपुरा, तहसील एवं जिला बारां, राजस्थान–325205 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल **15X40=600** वर्गफीट अर्थात् 66.66 वर्ग गज है, एवं चतुर्थ सीमाएं– उत्तर में प्लॉट नं. 10 का भाग, दक्षिण

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:00 IST
Reason: SelfAttested

की प्लॉट नं. 11, पूर्व में रोड 30 फीट चौड़ी , पश्चिम में प्लॉट नं. 16 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को सुनाया गया ।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:00 IST
Reason: SelfAttested